वित्त निर्देश 15/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 144/एल 2018-04-00428/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 22.3.2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः-छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 एवं छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम में संशोधन

संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 320/एफ 2013-01-00099/वि/नि/चार, दिनांक 1 अगस्त, 2013

छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 11 में प्रावधान है कि **"कोई शासकीय सेवक, अवकाश सहित या बिना अवकाश के बाह्य सेवा से भिन्न, पांच वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जायेगा जब तक कि राज्यपाल, प्रकरण की आपवादिक परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निर्धारित न करें:**

परन्तु इन प्रावधानों को लागू करने के पूर्व उस शासकीय सेवक को ऐसी अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।"

2/ छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 18 में प्रावधान है कि **"जब तक कि राज्यपाल मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा विनिश्चित न करें, किसी भी शासकीय सेवक को लगातार पॉच वर्ष से अधिक अवधि का किसी भी प्रकार का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा।"**

3/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों के निरंतर अनुपस्थिति/अवकाश की अवधि को पॉच वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष किया जाए।

4/ समस्त विभागों से अनुरोध है कि एक माह से अधिक अवधि के अनाधिकृत अनुपस्थिति के समस्त प्रकरणों में उक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों को समुचित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

5/ छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 11 एवं छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 18 में संशोधन की अधिसूचना संलग्न है। यह संशोधन इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 22/03/2018
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 145/एल 2018–04–00428/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 22.3.2018

प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल /महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

— को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

22.03.18

(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च, 2018

क्र. एल 2018–04–00428/वित्त/नियम/चार :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 11 में, जहां कहीं भी शब्द "पांच वर्ष" आया हो के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance Department
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, Dated 22 March, 2018

No. F 2018-04-00428/Finance/Rules/IV:: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010 namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 11, for the words "five years", wherever they occur, the words "three years" shall be substituted.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(S.K. Chakraborty)
Joint Secretaray

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च, 2018

क्र. एल 2018–04–00428/वित्त/नियम/चार :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मूलभूत नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमो में,

भाग 2 में, अध्याय 3 में, नियम 18 में, शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance Department
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, Dated 22 March, 2018

No. F 2018-04-00428/Finance/Rules/IV:: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Fundamental Rules, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In Part II, in Chapter III, in rule 18, for the words "five years", the words "three years" shall be substituted.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(S.K. Chakraborty)
Joint Secretaray